House Committee on Municipal Corporations in Delhi

Terms of Reference of the Committee:

1. To inquire into the allegations of rampant corruption and irregularities in the Municipal Corporations of Delhi;
2. To study the existing set up of the Municipal Corporations in Delhi and to recommend measures to improve its functioning in all spheres including administration, sanitation, primary health and education, service-delivery system, revenue generation, financial sustainability etc.;
3. To study and recommend about the suitability of continuing with the present set up of three Municipal Corporations;
4. To receive and enquire into complaints and representations from various stakeholders and general public on issues pertaining to the Municipal Corporations and recommend corrective measures, and
5. To take up any other matter that is incidental or consequential to the issue under examination;

   That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House;

   That the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker;

   That the committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and

   That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the sixth Session of the sixth Legislative Assembly"

"दिल्ली के नगर निगमों के लिए सदन की समिति।"

समिति के विचारार्थ विषय :

दिल्ली के नगर निगमों मे व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोपों की जांच करना;

दिल्ली में नगर निगमों की विद्यमान संरचना का अध्ययन करना तथा प्रशासन, साफ सफाई, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सेवा उपलब्धता व्यवस्था, राजस्व उत्पादन, वित्तीय स्थायित्व इत्यादि सहित सभी क्षेत्रों मे इनकी कार्य प्रणाली के उपायों की सिफारिश करना;

तीनों नगर निगमों की वर्तमान संरचना को जारी रखने की उपयुक्तता के बारे मे अध्ययन करना तथा सिफारिश करना;

नगर निगमों से संबंधित मामलों पर विभिन्न स्टेक होल्डर तथा आम जनता से शिकायतें तथा प्रतिवेदन प्राप्त करना और उनकी जांच करना तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना, और

जांच के अधीन विषय के प्रासंगिक या अनुवर्ती किसी अन्य मामले को विचारार्थ लेना;

समिति सदन द्वारा दिये गये आदेश को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है;

समिति, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, जांच का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है;

समिति विधान सभा की विद्यमान समितियों को उपलब्ध सभी शक्तियों और प्रतिरक्षा का उपयोग करेगी, और

''समिति अपनी रिपोर्ट छठी विधान सभा के छठे सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी । ''